मार्च,2018 के महत्वपूर्ण प्रयास .....

* केन्द्रीय रेलमंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर ग्वालियर होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव ग्वालियर स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई ।

* उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं वित्तमंत्री–श्री राजेश अग्रवाल तथा राज्य के मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव–वित्त विभाग को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई कि जब तक केन्द्र सरकार द्वारा ई–वे बिल को लागू नहीं किया जाता है, तब तक उत्तरप्रदेश में ई–वे बिल को निरस्त/स्थगित किया जाए, ताकि पड़ौसी राज्यों के व्यवसाईयों को व्यापार करने में आ रही परेशानी दूर हो सके ।

* जिलाधीश, ग्वालियर को ज्ञापन प्रेषित कर डायवर्सन वसूली के संबंध में उल्लेख करते हुए माँग की गई है कि नियमानुसार नजूल आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि/भवन/संस्थान से डायवर्सन शुल्क नहीं वसूले जाने हेतु संबंधितों को आदेशित करें, ताकि राजस्व लक्ष्य पूर्ति हेतु दिए जा रहे नोटिस एवं वसूली से नजूल आबादी क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके ।

* प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन–श्री विवेक अग्रवाल जी को पत्र प्रेषित कर, शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री पर बढ़ाए गए 1% शुल्क को वापिस लिए जाने की माँग की गई, ताकि रियल एस्टेट कारोबार को होने वाले नुक्सान से राहत मिल सके ।

* अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को प्रतिभूति निक्षेप में संशोधन के संबंध में सुझाव प्रेषित किए गए ।

* उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय को पत्र प्रेषित कर, शहर में संचालित बैंक की सभी शाखाओं में उपभोक्ताओं के वाहनों हेतु पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई है, ताकि उपभोक्ता अपने वाहन सुरक्षित रखकर, सुविधाजनक रूप से बैंकिंग संबंधी कार्य का निष्पादन कर सकें ।

* डॉ. संजय पाठक जी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), म. प्र. शासन को पत्र लिखकर, चेम्बर को राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड में सदस्य के रूप में मनोनीत करने की माँग की गई ।

* महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर जी को पत्र प्रेषित कर, चेम्बर भवन में सम्पत्ति कर शिविर का आयोजन किए जाने की माँग की गई ।

* मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर, डायवर्सन वसूली के लिए जिला प्रशासन द्वारा अवैधानिक रूप से दिए जा रहे नोटिसों को तत्काल प्रभाव से रोके जाने हेतु आदेशित किए जाने की माँग की गई ।

* मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन एवं महाप्रबंधक (शहर वृत्त), म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, मार्च माह में लक्ष्य पूर्ति हेतु की जा रही बिलिंग को रोके जाने एवं विद्युत प्रदाय संहिता के अंतर्गत ही वसूली किए जाने की माँग की गई ।

* जिलाधीश/अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन उपसमिति, ग्वालियर एवं जिला पंजीयक, जिला–ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 2018–19 पर सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करते हुए, कलेक्टर गाइड लाइन में आवश्यक सुधार की माँग की गई ।

* मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव–श्री बसंतप्रताप सिंह एवं प्रमुख सचिव (नगरीय विकास एवं आवास)–श्री विवेक अग्रवाल को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. भूमि विकास नियम–2012 के नियम–53 विवाह पार्क (मैरिज गार्डन) में संशोधन किए जाने के संबंध में सुझाव प्रेषित करते हुए, म. प्र. भूमि विकास नियम,2012 के नियम–53 में आवश्यक संशोधन किए जाने की माँग की गई ।

* महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर, झाँसी–पटना (04185/04186) ग्रीष्मकालीन गाड़ी का संचालन नियमित किए जाने एवं जम्मूतवी–मुम्बई ग्रीष्मकालीन गाड़ी का स्टॉपेज ग्वालियर में किए जाने की माँग की गई ।

* चेयरमैन, एनएचएआई, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–75 (ग्वालियर–झाँसी राजमार्ग) के 4–लेन निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग–92 (ग्वालियर–भिण्ड) का भी शीघ्रातिशीघ्र डामरीकरण कराने की माँग की गई ।

* मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्व मंत्री–श्री उमाशंकर गुप्ता, किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा प्रभारी मंत्री–श्री गौरीशंकर बिसेन, मुख्य सचिव–श्री बसंतप्रताप सिंह, प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग)–श्री मनीष रस्तोगी तथा आयुक्त,

ग्वालियर संभाग को पत्र लिखकर, ग्वालियर शहर में डायवर्सन टैक्स के जारी किए जा रहे नोटिस और वसूली पर तत्काल रोक लगाए जाने एवं वर्तमान नियमों में संशोधन किए जाने की माँग की गई ।

* प्रबंध संचालक, मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन एवं महाप्रबंधक (शहर वृत्त), म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, विद्युत बिलों पर पूर्व की भांति स्थानीय अधिकारियों के मोबाइल नं. अंकित किए जाने की माँग की गई।

* नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, श्रीमती मायासिंह जी को पत्र लिखकर, म. प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-53 विवाह पार्क (मैरिज गार्डन) में संशोधन किए जाने की माँग की गई ।

* मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री-श्रीमती मायासिंह एवं संभागीय आयुक्त, ग्वालियर को पत्र लिखकर, जिला प्रशासन द्वारा डायवर्सन टैक्स के नाम पर अवैधानिक रूप से की जा रही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने एवं चेम्बर को दिए गए डायवर्सन नोटिस को निरस्त करने तथा द्वेषपूर्ण भावना से दिए जाने के कारण एसडीएम शहर का स्थानांतरण कर, उन्हें प्रशासकीय अधिकार से वंचित किए जाने की माँग की गई ।

* वाणिज्यिक कर मंत्री-श्री जयंत मलैया एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर को पत्र प्रेषित कर, अवधि 2017-18 का वृत्तिकर 31 मार्च,18 के पूर्व जमा कराएँ जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किए गए ।

* मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्य केबिनेट के मंत्री-श्रीमती माया सिंह, श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 में संशोधन किए जाने हेतु पत्र में उल्लेखित अनुसार, संशोधन किए जाने की माँग की गई ।

* प्रदेश के समस्त चेम्बर्स अध्यक्षगणों को पत्र प्रेषित कर, डायवर्सन टैक्स के नाम पर मात्र राजस्व वसूली के लक्ष्य पूर्ति हेतु अवैधानिक रूप से प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध किए जाने का अनुरोध किया गया ।

* मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल ऑफिस को पत्र प्रेषित कर, पीएनबी के नए सॉफ्टवेयर के कारण ग्राहकों को हो रही परेशानियों का उचित समाधान किए जाने की माँग की गई ।

*****